सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{25 फाल्गुन, 1942 (श०)}}{\text{16 मार्च, 2021 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	.. ..	01
(2)	शिक्षा विभाग	.. ..	03
(3)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	05

अनुदान देना

'क'-16. <u>श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)</u>--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्राकृतिक आपदा के तहत बाढ़ के समय सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक परिवार को 4 लाख रुपया सहायता देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अन्य दिनों में भी सर्पदंश से गरीब/मजदूर परिवारों में मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाढ़ अवधि के बाद भी सर्पदंश से मृत्यु को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर मृतक परिवार को 4 लाख अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

55. <u>श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा कोविड 19 वर्ष 2020 के अवधि में संचालित निजी विद्यालयों में पठन-पाठन कर रहे छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से किसी भी प्रकार का फीस नहीं लेने का प्रावधान के विरुद्ध निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा विगत् एक-दो माह से कक्षाओं का संचालन कर छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से पूरे वर्ष का फीस वसूल किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

56. <u>श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)</u>--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिये 2016 ई० में ही 1,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत ट्रक स्कैनर, हवाई अड्डा एवं रेलवे स्टेशनों पर एक्स-रे मशीन एवं एन० एच०, एस० एच० पर बैरियर लगाये जाने का प्रावधान किया गया था, जो अभीतक नहीं लगाया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में पूर्णतः शराबबंदी हेतु उक्त वर्णित योजना को पूर्णतः लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 5 Full Body Truck Scanner (FBTS) की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिर्फ एक FBTS की सहमति दी गई थी तथा इसके अधिस्थापन के लिये स्थान संसूचित करने का निदेश दिया गया था । राज्य में अन्तर्राज्यीय 5 (पाँच) समेकित जाँच चौकी यथा कर्मनाशा (कैमूर), डोभी (गया), बलथरी (गोपालगंज), रजौली (नवादा) एवं दालकोला (पूर्णियाँ) कार्यरत है । किसी एक चेक पोस्ट पर FBTS लगाने से अपेक्षित लाभ प्राप्त होने की संभावना कम थी । अतएव सम्यक् विचारोपरान्त इस व्यवस्था को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया और उपर्युक्त चेक पोस्टों पर CCTV के द्वारा Surveillance System के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा 24 x 7 जाँच की जा रही है ।

उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

नोट--'क'-दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन द्वारा स्थगित ।

कार्रवाई करना

57. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिये वेतन संशोधन (7वाँ सी0पी0सी0) योजनान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक योजना के कार्यान्वयन पर कुल 767 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हुआ है ;

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ पूर्ण प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजने के कारण वेतन संशोधन के कार्यान्वयन पर हुये अतिरिक्त व्यय के 50 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति 383 करोड़ रुपया से राज्य सरकार को वंचित होना पड़ा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ससमय प्रस्ताव नहीं भेजने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

58. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 20 सितम्बर, 2020 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''देश भर में शिक्षकों के सबसे ज्यादा बिहार में पद रिक्त'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के कुल 6,88,157 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 2 लाख 75 हजार 255 पद रिक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों के पदों की रिक्तियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जिसके कारण राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पद की स्वीकृति के बाद भी रिक्तियाँ रहने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 16 मार्च 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 131(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550